राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.वी. 4(23)निगो/प्लान/2014/ 1125 दिनांक– 23/3/15

व्यवस्थापक
पंजीकृत गौशाला ....
....

विषय– गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण करवाने हेतु दिशा–निर्देश भिजवाये जाने बाबत्।

प्रसंग– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 8(4)ग्रावि/अनु.8/2014 जयपुर, दिनांक 04.03.2015

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 8(4)ग्रावि/अनु.8/2014 जयपुर, दिनांक 04.03.2015 के अनुसार पंजीकृत गौशाला/गौसदनों में गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत गौआवास, पक्का फर्श, नाली निर्माण, गौमूत्र टेंक निर्माण (गौशाला परिसर), नंदीशाला आवास निर्माण, चारा भण्डार गृह, चारदीवारी निर्माण, स्वच्छ पेयजल हेतु खेली, बायोगैस संयंत्र, वर्मी कम्पोस्ट, नेडेप कम्पोस्ट, अजौला पूरक आहार परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अधिकतम राशि रू. 10.00 लाख तक के निर्माण कार्य कराये जा सकेंगे।

परिपत्र दिनांक 04.03.2015 की प्रति संलग्न कर लेख है कि परिपत्र में वर्णित दिशानिर्देशानुसार प्रस्ताव स्वीकृत कराकर योजना का लाभ उठावे।

संलग्न– दिशा–निर्देश।

निदेशक

क्रमांक :– एफ.वी. 4(23)निगो/प्लान/2014/ दिनांक–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री गोपालन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गोपालन विभग, जयपुर।
4. निदेशक पशुपालन विभाग, पशुधन भवन, जयपुर ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान गौ सेवा आयोग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर।
8. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग (समस्त जिला)।

निदेशक

49

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास (अनुभाग–8) विभाग

क्रमांक : एफ. 8(4)ग्रावि/अनु.–8/2014 जयपुर, दिनांक 4.3.2015

परिपत्र

:: गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना ::

संशोधित दिशा निर्देश

गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत जारी दिशा निर्देश समसमंख्य परिपत्र दिनांक 30.09.2014 में संशोधन कर नये दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है।

1.0 प्रस्तावना :–

1.1 माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा भाषण की अनुपालना में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **"गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना "** वर्ष 2014–15 से लागू की जा रही हैं । योजनान्तर्गत विकास कार्यो का चयन जन समुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे ।

2.0 योजना के उद्देश्य :–

2.1 गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण (सामुदायिक पुरासंपदाओं के संवर्द्धन, संरक्षण एवं सुरक्षात्मक कार्यो सहित)
2.2 रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन ।
2.3 स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन ।
2.4 सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन ।
2.5 ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार ।

3.0 योजना की विशेषताएं :–

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना है एवं केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी ।

50

3.2 इस योजना के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किये जायेंगे । विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/अपूर्ण कार्यो को इस योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा ।

3.3 इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होगाः–

		जन सहयोग
(i)	सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु	30 प्रतिशत
(ii)	सृजित परिसम्पत्ति पर दानदाता का नाम अंकन करने की स्थिति में	51 प्रतिशत
(iii)	शमशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी मय सुविधाओं यथा वृक्षारोपण ,टीन शेड, चबूतरा आदि का निर्माण	10 प्रतिशत
(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (ग्राम के कुल जनसंख्या मे से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों को सम्मिलित करते हुये 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनगणना 2011 में हो)	20 प्रतिशत

मापदण्ड़ों के अनुसार स्वीकृत कार्यों के लिए शेष राशि राज्य मद से उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त कार्यों को महानरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुमत कार्य होने की स्थिति में डवटेल भी किया जाने का प्रयास किया जावेगा ।

3.4 जनसहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्था/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा किया जा सकेगा । जनसहयोग की राशि पंचायत समिति/जिला परिषद में नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी ।

4.0 कार्यों के प्रस्ताव :–

4.1 योजना के अन्तर्गत शमशान एवं कब्रिस्तान की चारदीवारी सहित स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी कार्य कराया जा सकता है, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का सृजन हो एवं गांव में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रसस्त हो।

4.1.1 योजना के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए गौशाला/गौसदनों में टिकाउ प्रवृतियों की परिसम्पत्तियों का सृजन निम्नाकित शर्तो के साथ कराया जा सकेगा:–

(i.) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1957 के तहत पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट जो सामाजिक सेवा कल्याणकारी गतिविधियों में इंगेज्ड हो तथा कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो।

(ii.) पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट का राजस्थान गो शाला अधिनियम 1960 के तहत पशुपालन विभाग से कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत हों एवं संस्था द्वारा गोशाला संचालन की गतिविधियाँ 3 वर्ष से अधिक अवधि से संचालित की जा रही हो।

(iii.) संस्था के पास गत तीन वर्षो से कम से कम 200 गायें निरन्तर रही हो तथा गौवंश का पालन पोषण किये जाने के साथ साथ स्वयं के स्वामित्व की लगभग 5 बीघा भूमि होनी चाहिए।

(iv.) संस्था की तीन वर्ष की आडिट रिपोर्ट के अनुसार गो सेवा कार्यो पर संस्था द्वारा किये गये व्यय के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा संस्था का प्रस्ताव अभिशंषित होने पर ।

(v.) संस्था के कार्य की पारदर्शिता एवं सुदृढ वित्तीय स्थिति आदि को दृष्टिगत रखते हुए संस्था को गो सेवा के कार्यो के लिए सुस्थापित एवं प्रतिष्ठित होने बाबत जिलो कलक्टर द्वारा संतुष्टी किये जाने पर।

(vi.) गोशाला के लिए निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने का संस्था का प्रस्ताव गो सेवा आयोग से अभिशंषित होना अनिवार्य होगा।

(vii.) गो शाला हेतु सृजित होने वाली परिसम्पतियाँ जनता के उपयोग हेतु सदैव उपलब्ध रहने पर।

(viii.) सृजित होने वाली परिसम्पतियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तांतरण/खुद्र/बुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही होगा।

(ix.) गो शाला के लिए सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का दायित्व सुनिश्चित लाभार्थी द्वारा लिये जाने पर।

(x.) संस्था द्वारा नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखे जिला कलक्टर को देने होंगे।

(xi.) लाभार्थी संस्था द्वारा राज्य सरकार (जिला कलक्टर) के साथ उक्त शर्तो को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में औपचारिक अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त।

(xii.) गो सेवा कार्य के लिए किसी एक ट्रस्ट/गैर सरकारी संस्था के लिये एक या एक से अधिक कार्यो के लिये किसी भी स्थिति में 10.00 लाख रूपये तक की सीमा से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

4.1.2 गौशाला/गौसदनों के कार्यो के प्रस्ताव में निम्न को शामिल किया जा सकेगा :–

i. गौआवास, पक्का फर्श, नाली निर्माण एवं गौमूत्र टैंक निर्माण (गौशाला परिसर)।
ii. नंदीशाला आवास निर्माण
iii. चारा भण्डार गृह।
iv. चारदीवारी निर्माण

(52)

v. स्वच्छ पेयजल हेतु खेली निर्माण।
vi. बायोगैस संयंत्र
vii. वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, नेडेप कम्पोस्ट निर्माण
viii. अजौला पूरक आहार हेतु निर्माण

4.1.3 गोशाला/गोसदनों के कार्य के साथ साथ गौ अभ्यारण्यों से संबंधित निम्न कार्य करवाये जा सकेगें:–

1. चारा उत्पादन संबंधी कार्य (मनरेगा से कन्वर्जेन्स द्वारा)
2. ओपनवैल (नवीन कुआ निर्माण) संबंधी कार्य
3. ट्यूबवैल लगाने के कार्य
4. शक्ति चलित कुट्टी मशीन लगाने के कार्य

4.1.4 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मल घाट के निर्माण पर 1.50 लाख रूपये तक के कार्य करवाये जा सकते है। निर्मल घाट की उपयोगिता, चयन के मापदण्ड एवं रूप रेखा निम्नानुसार रहेगी:–

उद्देश्यः–

राज्य में ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं के उपरान्त भी राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि नदियों एवं तालाबों/बांधों के साथ घाट नहीं होने से ग्रामीण महिलाओं के लिये स्नान की उचित सुविधाएं नहीं मिल रही है। ग्रामीण महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान को सुविधाजनक बनाने के लिये नदियों एवं तालाबों/बांधों के साथ घाट बनाने के लिये यह प्रावधान किया जा रहा है।

चयनः–

ग्रामीण महिलाओं के लिये नदियों एवं तालाबों/बांधों के साथ घाट बनाने के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम की आबादी से एक किलों मीटर की परिधि में नदी/तालाब/बांधा स्थित हो। "निर्मल घाट" के अधिक प्रस्ताव आने पर चयन के लिये निम्न प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जावें :–

1. ऐसी नदियां एवं तालाब/बांधों जिनमें पूरे वर्ष पानी उपलब्ध हो। इस श्रेणी के गांवों में प्रथम प्राथमिकता **"सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना"** के अंतर्गत चयनित ग्राम को दी जावें।
2. ऐसी नदियां एवं तालाब/बंधे जिनमें 9 माह से 12 माह तक पानी उपलब्ध हो।
3. ऐसी नदियां एवं तालाब/बंधे जिनमें 6 माह से 9 माह तक पानी उपलब्ध हो।
4. ऐसी नदियां एवं तालाब/बंधे जिनमें 6 माह तक पानी उपलब्ध हो। उपरोक्त प्राथमिकता को ध्यान में रखकर "निर्मल घाटों" की स्वीकृति जारी की जावें।

<u>निर्मल घाट की रूपरेखाः—</u>

प्रस्तावित निर्मल घाट इस प्रकार से बनाया जावें कि उसका गंदा पानी नदी/तालाब/बंधे के पानी को गंदा नहीं करें अर्थात उसकी निकासी का उचित प्रबन्धन हो।

<u>निर्मल घाट की अनुमानित लागतः—</u>

प्रस्तावित प्रत्येक निर्मल घाट पर लगभग रूपये 1.50 लाख रूपये तक व्यय किये जाने का अनुमान है। इस कार्य के लिये विस्तृत तकनिकी अनुमान कार्य स्थल के अनुसार पंचायत समिति के अभियन्ता द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के मापदण्डों से तैयार किया जावेगा एवं सक्षम स्तर से तकनिकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

4.2 योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य :—

निम्न गतिविधियों पर योजना राशि का व्यय अनुमत नहीं होगा —

(अ) अनुदान एवं ऋण ।
(ब) वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति ।
(स) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा ।
(द) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।
(य) धार्मिक पूजा स्थल ।
(र) योजना में जातिगत व धार्मिक आधार पर सामुदायिक भवन अनुमत नहीं होंगे।

4.3 कार्यों की स्वीकृतियां आवंटित राशि की सीमा तक ही जारी की जावेगी ताकि कोई देनदारियां योजनान्तर्गत लम्बित नहीं रहे ।

4.4 इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्य, विकासात्मक प्रकृति एवं सामुदायिक उपयोग के होने पर स्वीकृत किये जायेंगे तथा टिकाऊ परिसम्पत्तियों पर अधिक जोर दिया जावेगा । आवृत्ति व्यय हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी ।

4.5 सृजित होने वाली परिसम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार/पंचायती राज संस्था में निहित होगा एवं उसका इन्द्राज पंचायत के परिसम्पत्ति रजिस्टर में करना अनिवार्य होगा ।

5.0 जन सहयोग :—

5.1 निर्धारित जन सहयोग की पूर्ण राशि एक मुश्त ही स्वीकृति से पूर्व पंचायत समिति/जिला परिषद में जमा करानी होगी ।

5.2 ग्राम वासियों द्वारा जन सहयोग नकद के रूप में ही दिया जावेगा ।

5.3 राजकीय विद्यालयों में गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत उसी विद्यालय के भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिए योजना में देय निर्धारित जनसहयोग के पेटे छात्र निधि कोष का उपयोग किया जा सकेगा ।

6.0 **कार्यों की स्वीकृति :–**

6.1 निर्धारित जन सहयोग की वांछित पूर्ण राशि नकद के रूप में जमा हो जाने के पश्चात बजट की उपलब्धता द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका (प्रचलित) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी ।

6.2 गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत पंजीकृत कार्यो की स्वीकृति के लिए वरियता का आधार पंचायत समितिवार प्राप्त प्रस्तावों में से ही रखा जाये न कि जिले में प्राप्त प्रस्तावों की वरियता के आधार पर किया जावेगा ।

6.3 योजनान्तर्गत जिले को आवंटित/स्वीकृत बजट का पंचायत समितिवार उपावंटन, इस योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुपात के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा किया जावेगा ।

6.4 यदि किसी पंचायत समिति में योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हो तो ऐसी स्थिति में राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य पंचायत समिति जिसमें योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हैं, के कार्य प्रस्तावों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा जारी की जा सकेगी ।

6.5 स्वीकृत कार्य की अधिकतम सीमा रूपये 15 लाख रखी जावे जिससे अधिक से अधिक कार्य उपलब्ध राशि में जिले में निष्पादित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य कारणों से इससे अधिक का कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता है तो उसके प्रस्ताव पर उपलब्ध राशि के विवरण के साथ प्रस्ताव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे ।

7.00 **कार्यो का क्रियान्वयन :–**

7.1 कार्य का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं/राजकीय विभागों द्वारा कराया जावेगा ।

7.2 कार्यकारी संस्था द्वारा दानदाता / जनसहयोगकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को सकिय रूप से साथ जोडकर कार्य करवाया जायेगा ।

8.0 **प्रबोधन व्यवस्था (Monitoring) :–**

8.1 निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण इस विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका(प्रचलित) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा ।

8.2 इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित की जाने वाली प्रगति से प्रति माह

निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को माह समाप्ति के बाद 7 दिवस में भिजवायी जावेगी तथा विभागीय वेबसाइट (IWMS द्वारा) पर ऑनलाइन फीड की जावेगी ।

8.3 कार्य के कम से कम तीन फोटोग्राफ समय–समय पर अपलोड किये जावेंगे ।

9.0 धनराशि का अवमोचन (Release) :–

9.1 राज्य स्तर से जिलों को राशि 2 किश्तों में ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर जारी की जावेगी । प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत राशि बिना किसी शर्त के जारी की जावेगी । द्वितीय किश्त की राशि कुल उपलब्ध राशि (गत वर्ष के अवशेष + प्रथम किश्त की राशि) के 60 प्रतिशत उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सीए ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जावेगी ।

9.2 इस योजना के अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र पर जनसहयोगकर्ता अथवा उनके नामित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी होंगे ।

9.3 यदि किसी जिले में अपेक्षित जन सहयोग राशि उपलब्ध नहीं है तो उस जिले की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रथम छः माह बाद अन्य जिलों को जहां जन सहयोग की राशि उपलब्ध है वहां जारी की जा सकेगी ।

9.4 राशि का आवंटन जिले के ग्राम पंचायतों की संख्या एवं जमा जनसहयोग की राशि को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा ।

10.00 पूर्णता प्रमाण पत्र :–

निर्मित कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यकारी संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका(प्रचलित) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जारी किये जायेंगे ।

11.00 अभिलेख / परिसम्पत्ति का ब्यौरा संधारण :–

ग्रामीण कार्य निर्देशिका(प्रचलित) के अनुरूप अभिलेख/परिसम्पत्तियों के ब्यौरे का संधारण किया जावेगा ।

12.00 अंकेक्षण :–

योजना मद में दी जाने वाली व जन सहयोग राशि के लेखे का अंकेक्षण सनदी लेखाकार के द्वारा नियमानुसार करवाया जायेगा ।

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग उक्त योजना का प्रशासनिक विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर व जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था होगी ।

4/3/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राज. जयपुर ।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान,जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
4. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर ।
7. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव .... ।
8. निजी सहायक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर ।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त ।
10. जिला कलक्टर समस्त ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ।
12. निदेशक, गो–सेवा निदेशालय
13. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को भेजकर निवेदन हैं कि इस योजना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवावे ।
14. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग ।
15 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)/परियोजना निदेशक (समस्त) .... ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), समस्त सम्बन्धित उक्त परिपत्र की एक–एक प्रति अपने–अपने जिले से सम्बन्धित मा. विधायकगण को उपलब्ध कराने एवं सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
17. रक्षित पत्रावली ।
18. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास

(सी0एल0वर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उपसचिव (मो0मू0)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास (अनुभाग–8) विभाग

क्रमांक : एफ. 8(4)ग्रावि / अनु.–8 / 2014 जयपुर, दिनांक 27/04/20..

परिपत्र

कोषपाल

:: गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना ::

संशोधित दिशा निर्देश

2-5-16

गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत जारी दिशा निर्देश समसमंख्यक परिपत्र दिनांक 04.03.2015 के बिन्दु संख्या 4.0 **कार्यों के प्रस्ताव** के **बिन्दु संख्या** 4.1.1 (vi) "गोशाला के लिए निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने का संस्था का प्रस्ताव गो सेवा आयोग से अभिशंषित होना अनिवार्य होगा" को विलोपित किया जाकर इसके स्थान पर "गोशाला के लिए निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने का संस्था का प्रस्ताव जिला कलक्टर से अभिशंषित होना अनिवार्य होगा" प्रत्यास्थापित किया जाता है।

27.4.16
(सी0एल0वर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उपसचिव (मो0मू0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राज. जयपुर ।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान,जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
4. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर ।
7. अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव .... ।
8. निजी सहायक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर ।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त ।
10. जिला कलक्टर समस्त ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ।
12. निदेशक, निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर ।
13. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को भेजकर निवेदन हैं कि इस योजना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवावे ।
14. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
15. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) / परियोजना निदेशक (समस्त) .... ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), समस्त सम्बन्धित उक्त परिपत्र की एक–एक प्रति अपने–अपने जिले से सम्बन्धित मा. विधायकगण को उपलब्ध कराने एवं सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
17. रक्षित पत्रावली ।

27.4.16
(के0सी0कलाकार)
सहायक निदेशक
(मो0मू0)